सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-2/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/2019-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2019**

विषय:-मा0 संसद-सदस्यों / राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 एवं प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की ओर से ऑन लाइन निर्गत शासनादेश संख्या– 05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक- 16 अक्टूबर, 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी सन्दर्भ में मा0 सभापति की अध्यक्षता में दिनांक-02 सितम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में मा0 सदस्यगणों द्वारा प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किये जाने का मामला समिति के समक्ष उठाया गया है। उक्त बैठक में मा0 सभापति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों को पुन: कड़े दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि मा0 सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के निर्देशों के आलोक में मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार / अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में

क्रमश:पृष्ठ-2

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय कार्य विभाग (संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 **एवं** ऑन-लाइन निर्गत शासनादेश संख्या–05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02 (सं0शि0)/ 2015 दिनांक- 16 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.-का प्रस्तर-(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह II)
प्रमुख सचिव।

सं0-2/2019/1155 **(1)/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- विधान परिषद सचिवालय (समिति अनुभाग-2) को मा0 संसदीय अध्ययन समिति के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ग्रीश कुमार वैश्य)
विशेष सचिव।

पत्र संख्या–स्था–1–सामान्य– .2019–20 / / 4184 / / वाणिज्यक

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना–राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ दिनांक 11/12/201

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–2/2019/1155/90स0शि0प्र0का0/2019–02(स0शि0)/2015 दिनांक–22 अक्टूबर 2019 के क्रम में सूचनार्थ।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड.1/ ग्रेड.–2 वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियो के संज्ञान में लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करे। ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश !
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश
8.. समस्त अनुभाग प्रभारी वाणिज्य कर मुख्यालय ।
9.. समस्त वाणिज्यकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10 डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्यकर मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर प्रर्दशित करने हेतु ।
11.. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्यकर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।